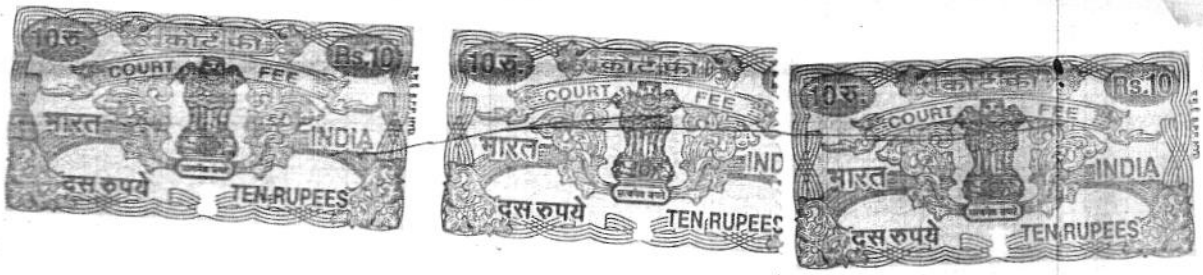

(34)

दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE Rs.10 भारत INDIA

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016–17 निगरानी PBR/निगरानी/इन्दौर/भू-रा/2017/

दिनांक 9-8-17 को श्री काले एस. गौड़ अभि० द्वारा प्रस्तुत।

9-8-17

चन्दर सिंह पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल, निवासी–ग्राम फतन खेड़ी, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

———प्रार्थी

बनाम

श्रीमती मिलिन्दा पत्नी श्री अभय नायक, निवासी–501ए, अपोलों इनक्लेव, 14/1, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

———प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959, विरूद्ध आदेश दिनांक 11/05/2017 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक– 06/अ–3/2016–17 ।

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, कृषि भूमि सर्वे क्रं.–10/ख/3 एवं सर्वे क. 10/ग/3 प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के संयुक्त, स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि का मूल सर्वे कमांक 10 है। जिसके लगभग 17 मिन नंबर होकर सह कृषक है। परन्तु प्रतिप्रार्थी द्वारा सह कृषकों को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना तहसीलदार इन्दौर के समक्ष एक आवेदन पत्र वास्ते बंटाकन कराये जाने हेतु दिनांक 05/11/2016 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार जूनी इन्दौर के समक्ष दिनांक 02/05/2017 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया कि आवेदन पत्र असत्य आधारों पर नियम विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है इसलिये निरस्त किया जावे। परन्तु तहसीलदार इन्दौर द्वारा प्रार्थी की आपत्ति का निराकरण किये बिना प्रकरण में आगामी कार्यवाही जारी रखते हुये विवादित आदेश पत्रिका दिनांक 11/07/2017 के द्वारा राजस्व निरीक्षक को बंटाकन फर्द प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नही किया गया है। इसलिये आदेश दिनांक 11/07/2017 से दुखित –

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2578-पीबीआर/2017 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	